

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कम्पिल

दि0- 04.07-2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रज्जाक पुत्र विकार अहमद 2. शनी पुत्र रज्जाक 3. इस्माइल पुत्र अनीस समस्त निवासी गण काशीराम कालोनी थाना अलीगंज जनपद एटा मु0अ0सं0- 299/2018 वाद स0- 4413/2018 धारा- 457,382,411 भा0द0वि0 थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि0गण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 04.07.2024 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट फर्रू0 द्वारा अभि0गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 06-06 वर्ष का साधारण कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ - श्री चन्द्रेश कुमार



कोर्ट मोहरीर हे0का0 कुन्दन सिंह



पैरोकार हे0का0 धर्मन्द्र कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि०- 04.07-2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रज्जाक पुत्र विकार अहमद 2. शनी पुत्र रज्जाक 3. इस्माइल पुत्र अनीस समस्त निवासी गण काशीराम कालोनी थाना अलीगंज जनपद एटा मु०अ०सं०- 16/2018 वाद स०- 4412/2018 धारा- 457,380,411 भा०द०वि० कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि०गण के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 04.07.2024 को मा० न्यायालय सी०जे०एम० कोर्ट फर्रू० द्वारा अभि०गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 06-06 वर्ष का साधारण कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ - श्री अंकित कुमार



कोर्ट मोहरीर हे०का० विजय कुमार



पैरोकार हे०का० सुभाषचन्द्र

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि०- 04.07-2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. राजेश उर्फ पटेला पुत्र कन्हैया 2. महेन्द्र उर्फ महेश पुत्र ओमीराम 3. कालिया उर्फ राकेश पुत्र भरती उर्फ चुन्ना 4. मनोज उर्फ छोटू पुत्र भूरा 5. विनोद उर्फ छोटू पुत्र गंगाराम 6. रामवीर पुत्र अमर सिंह मु०अ०सं०- 65/2018 वाद सं०- 98/2019 धारा- 395,376डी भा०द०वि० व 5/6 पाक्सो एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि० के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 04.07.2024 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फर्रु० द्वारा अभि०गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी - श्री प्रदीप कुमार



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



कोर्ट मोहर्रिर म०का० स्वाती



पैरोकार हे०का० सुभाषचन्द्र





